

25.02.2026

प्रकरण फाईलिंग सेक्शन गुना से प्राप्त।

आवेदक की ओर से श्री पुष्पराग शर्मा अधिवक्ता
उपस्थित।

पंजीयन पर सुना गया।

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 8
आर्बीटेशन एक्ट के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक की
ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 8 आर्बीटेशन एक्ट के
अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त आर्बीटेशन एक्ट की
चाही गई सहायता इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में न
होने से उक्त आवेदन पंजीयन के योग्य नहीं पाया जाता।
अतः प्रकरण उचित क्षेत्राधिकारिता में प्रस्तुत करने की
स्वतंत्रता के साथ मूलतः आवेदक को वापस किया जावे।

प्रकरण को सांख्यिकी गणना की दृष्टि से सी.
आई.एस. में यू.एन.सी.आई.में दर्ज किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण विधिवत दाखिल
रिकॉर्ड किया जावे।

(कु० मधुलिका मुले)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड)

गुना (म०प्र०)